रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 205] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 27, 1976/वैशाख 7, 1898
No. 205] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 27, 1976/VAISAKHA 7, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Heavy Industry)

ORDER

New Delhi, the 27th April 1976

S.O. 318(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Tractors (Distribution and Sale) Control Order, 1971, namely:—

1. (1) This Order may be called the Tractors (Distribution and Sale) Control (Second Amendment) Order, 1976.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In clause 10 of the Tractors (Distribution and Sale) Control Order, 1971, in sub-clause (1), after the words "offer to sell it", the words "or enter into any other transaction involving the transfer of possession of the tractor to any other person" shall be inserted.

[No. 12(23)/75-AEI(II)]

S. M. GHOSH, Jt. Secy.

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 1976

का० आ० 318 (अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ट्रैक्टर (वितरण और विक्रय) नियंत्रण आदेश, 1971 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का नाम ट्रैक्टर (वितरण और विक्रय) नियंत्रण (द्वितीय संशोधन) आदेश, 1976 है ।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

2. ट्रैक्टर (वितरण और विक्रय) नियंत्रण आदेश, 1971 के खंड 10 में, उपखंड (1) में "न बेचने की प्रस्थापना करेगा" शब्दों के पश्चात "या कोई अन्य संव्यवहार नहीं करेगा, जिसमें किसी अन्य व्यक्ति को ट्रैक्टर का कब्जा दिया जाना हो," शब्द अन्त स्थापित किए जाएंगे ।

[सं० 12(23)/75-ए ई आई (II)]

एस० एम० घोष, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976